संख्या- 107/2018/278/69-1-18-11(म0ब0-83)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की 23 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4350/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 05 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की न0निगम, कानपुर नगर एवं न0पं0, शिवराजपुर व बिठूर की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 23 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 613.72 लाख की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 306.86 लाख (रूपये तीन करोड़ छ: लाख छियासी हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत प्रयोजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश:.........2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

क्रमशः.........3

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-870/दस-2018, दिनांक 20 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- 1.7/2018/278(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 107/2018/278(1)/69-1-18-11(म0ब0-83)/2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर नगर	न0नि0, कानपुर नगर	वार्ड नं0 63 नौबस्ता पूर्व के अन्तर्गत गंगापुर कालोनी में जगदीश सिंह के मकान से श्यामा देवी शिशु मन्दिर तक एवं रामचन्द्र सिंह के मकान से जगदीश चौहान के मकान तथा अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.22	7.11
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्ता पूर्व के अन्तर्गत कुंज विहार गंगापुर कालोनी में (म0नं0 74 से म0नं0 107 राम प्रकाश पाण्डेय) प्रेम नारायण के मकान से मनोज तिवारी के मकान होते हुए दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के मकान होते हुये अनिल दुबे के मकान तक एवं राजेन्द्र सिंह राठौर के मकान से विपिन मिश्रा एवं संजय के मकान से धमेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	37.36	18.68
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर कालोनी में देवीदीन के मकान से मलखान सिंह के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	13.16	6.58
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर नई बस्ती में जखई बाबा मन्दिर से देवेन्द्र कुमार गुप्ता, दुर्गेश पाल एवं हरिश चन्द्र सैनी के मकान होते हुये सुनीता वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	19.08	9.54
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत नई बस्ती में एस0एस0आर0 एकेडमी से योगेन्द्र यादव के मकान तक, जखई बाबा मन्दिर से वीरू वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	18.30	9.15
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर कालोनी में अर्चना तिवारी के मकान से संजय दास के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.90	4.95
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर कालोनी में मलखान सिंह के मकान से महेन्द्र चन्द्र कुशवाहा के मकान तक, राम किशोर पासवान के मकान सतीश चन्द्र दीक्षित के मकान तक, ओम प्रकाश के मकान से दुलीचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.83	8.915
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर कालोनी में कमला कान्त सिंह यादव के मकान से महेन्द्र अग्निहोत्री के मकान होते हुए धीरज के मकान तक महेन्द्र अग्निहोत्री के मकान गोपाल अवस्थी के मकान तक मनोज के मकान से चन्दन के मकान तक, अजीत वाली गली एवं सुरेश के मकान	28.63	14.315

http://shasanadesh.up.nic.in

			से अशोक के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।		
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर नई बस्ती में अजय कुमार बाजपेई के मकान से दीपेश प्रजापति के मकान तक एवं श्याम बाबू के मकान से शशि कुमार तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	19.79	9.895
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर नई बस्ती में चन्द्र शेखर के मकान से महेश सिंह यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.52	5.26
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर नई बस्ती में चन्द्र शेखर के मकान से वीरेन्द्र गुप्ता के मकान एवं आर0के0 यादव के मकान से राजेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.85	5.425
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर नई बस्ती में गुलाब सिंह (प्रयाग विद्या मन्दिर स्कूल) से भूपेन्द्र सिंह के मकान तक, महेश चन्द्र के मकान से राकेश के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.69	6.345
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर बस्ती में दयाराम प्रजापति के मकान से अमित तिवारी के मकान तक, दयाराम प्रजापति के मकान से गोपाल संगर एवं संजीव दीक्षित के मकान से अशोक त्रिवेदी के मकान से गोपाल सेंगर के मकान तक, से विनोद बाजपेई एवं बंशी लाल प्रजापति के मकान से पप्पू शुक्ला के मकान तक किशोर वाली गली एवं विनोद वाजपेयी वाली गली में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	42.24	21.12
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर में हरिश्चन्द्र पाल के मकान से छोटे लाल के मकान होते हुए बिटुमिन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.52	6.26
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 63 नौबस्तापूर्व के अन्तर्गत गंगापुर बस्ती में प्रेम नारायण विश्वकर्मा के मकान से जसराम सिंह यादव के मकान तक एवं राम शंकर अग्निहोत्री के मकान से राम आसरे चौधरी व अमित के मकान होते हुये सी0एल0 वर्मा के मकान तक, शिव स्वरूप मिश्रा के मकान से सुरेन्द्र सिंह यादव के मकान, सुरेन्द्र सिंह के मकान से रामशंकर अग्निहोत्री के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	43.85	21.925
16	तदैव	नगर निगम, कानपुर	वार्ड नं0 54 के अन्तर्गत विनायकपुर में राम बहादुर के मकान से बी0के0 मिश्रा व कुन्दन के मकान होते हुये सी0सी0 रोड तक, योगेश शर्मा के मकान से राधे सिंह व आनन्द प्रकाश कटियार के मकान तक, सचिन के मकान से श्याम के मकान तक, रश्मि के मकान से विश्वास के मकान तक, ए0के0 त्रिपाठी के मकान से रिंगी सिंह के मकान तक, एस0के0 सिंह के मकान से महेश चन्द्र के मकान तक एवं कपिल बाजपेयी के मकान से रेलवे क्रांसिग तक, घनश्याम सिंह के मकान से मोहित के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	89.95	44.975
17	तदैव	न0पं0, शिवराजपुर	वार्ड नं0 01 के अन्तर्गत अम्बेडकर नगर शिवराजपुर बस्ती में इन्दल के मकान से महेश के मकान तक, इस्लाम के मकान	15.62	7.81

http://shasanadesh.up.nic.in

			से परशुराम के मकान तक, सी0सी0 पेवर रोड से मोहनलाल के मकान होते हुए गोविंद के मकान तक, रामकिशन से जीतू, सी0सी0 पेवर रोड से शिवपाल के मकान तक, राजन के मकान से गोविंद तथा इन्दल के मकान से राम किशन के मकान तक एवं अन्य सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।		
18	तदैव	न0पं0, शिवराजपुर	वार्ड नं0 02 के अन्तर्गत सत्य प्रकाश मालवीय नगर बस्ती में राधेश्याम गुप्ता के मकान से सीताराम के मकान तक, सी0सी0 रोड से रामआसरे तथा श्याम बाबू के मकान से बदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.04	6.02
19	तदैव	न0पं0, शिवराजपुर	वार्ड नं0 08 के अन्तर्गत जवाहर नगर मघई नेवादा में शिवली रोड से रमेश चन्द्र राजपूत के मकान होते हुए दिवारी लाल के मकान तक तथा आनन्द शाक्य के मकान से अजय कुमार के मकान होते हुए आइडियल एजूकेशन स्कूल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	20.86	10.43
20	कानपुर नगर	न0नि0, कानपुर	वार्ड नं0 18 के अन्तर्गत कंजरन पुरवा बस्ती में उस्मानपुर रोड से गोरेलाल के मकान होते हुए शंकर जी के मन्दिर तक तथा गोरेलाल के मकान से हमीरपुर रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	42.51	21.255
21	कानपुर नगर	न0नि0, कानपुर	वार्ड नं0 39 के अन्तर्गत जूही मिलेट्री कैम्प बस्ती में मतीन भाई के मकान से ए0पी0 सिंह के मकान तक, मतीन भाई के मकान से मन्नू के मकान तक अन्य सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.06	5.53
22	कानपुर नगर	न0नि0, कानपुर	वार्ड नं 18 के अन्तर्गत [illegible] नगर बस्ती में मेन रोड से महावीर के मकान तक, महावीर से सचान रोड तथा दुर्गा के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	34.44	17.22
23	कानपुर नगर	न0पं0, बिठूर	वार्ड नं0 1 मैनावती नगर बिठूर में इश्तिहाक की दुकान से शंकर लाल कुरील के मकान तक, फतौले के मकान से प्रेमचन्द्र के मकान तक, तेज अली के मकान से विकलांग खरंजा तक, कन्हई धोबी के मकान से शम्भु शुक्ला के मकान तक, पन्था देवी मन्दिर से रामबाबू कठेरिया के मकान तक, पन्था देवी मन्दिर से रामनरेश कठेरिया तक एवं पास की गलियों में एवं शैल अवस्थी के मकान से अली हसन के मकान तक, अशोक के मकान से राम नरेश के मकान तक एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	76.30	38.15
			योग	**613.72**	**306.86**

(रूपये तीन करोड़ छः लाख छियासी हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in